प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सैंतीस'

[21/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 6212]

परिशिष्ट ''अ''

विधानसभा प्रश्न कमांक 6212 अतारांकित का प्रश्नांश ''ग

प्रश्नांकित वर्षो में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग अन्तर्गत शिक्षक/ शिक्षक श्रवण एवं दृष्टि बाधितार्थ हेतु विभागीय भर्ती नियम में निम्नलिखित योग्यता उल्लेखित हैः–

मध्यप्रदेश पंचायत एवं समाज कल्याण तृतीय श्रेणी (कार्यपालन) सेवा भर्ती नियम–1967 (राजपत्र दिनांक 17 अप्रेल,1970 को प्रकाशित)

अनिवार्यः–

1. कला, विज्ञान, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि
2. अध्यापन की उपाधि या प्रमाण–पत्र
3. कला, विज्ञान, वाणिज्य, गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि
4. किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापन का दो वर्ष का अनुभव

मध्यप्रदेश पंचायत एवं सामाजिक न्याय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम –2004 (राजपत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2004 को प्रकाशित)

अनिवार्यः–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक
2. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में अध्यापन की उपाधि या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से विकलांगता से संबंधित अध्यापन का दो वर्ष का अनुभव का प्रमाण पत्र
3. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान

वाछनीयः–

बी.एड या निःशक्त पूर्व प्राथमिक या मान्टेसरी स्कूल में डिग्री

मध्यप्रदेश पंचायत एवं सामाजिक न्याय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम –2004 का संशोधन (राजपत्र दिनांक 23 मई,2009 को प्रकाशित)

अनिवार्यः–

1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा बी.एड.किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक
2. .शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में अध्यापन की उपाधि या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से विकलांगता से संबंधित अध्यापन का दो वर्ष का अनुभव का प्रमाण पत्र
3. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान।

वाछनीयः–

बी.एड या निःशक्त पूर्व प्राथमिक या मान्टेसरी स्कूल में उपाधि (डिग्री)

मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,संचालनालय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) (भर्ती एवं सेवा की सामान्य शर्तें) नियम –2014 (राजपत्र दिनांक 11 मई, 2015 को प्रकाशित)

अनिवार्यः–

1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2. विकलांगता से संबंधित बी.एड. परीक्षा
3. कम्प्यूटर एप्लीकेशन में 50 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा।
4. विकलांगता बालकों की संस्था में दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित के अध्यापन का दो वर्ष का अनुभव
5. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान ।

उपरोक्तानुसार भर्ती नियम में उल्लेखित शैक्षणिक अहर्ता अनुसार सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग में 40 श्रवण बाधित शिक्षक कार्यरत है।

परिशिष्ट –''ब''

विधानसभा अतारांकिकत प्रश्न कमांक 6212 के प्रश्नांश ''घ' से संबंधित जानकारी

कमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापना स्थल
1	कु कल्पना यादव	शिक्षक श्रवण बाधितार्थ	अधीक्षक, दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल
2	श्री चन्द्रहास सिंह पटेल	शिक्षक श्रवण बाधितार्थ	अधीक्षक, दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सागर